फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली

प्रार्थी :–
पप्पुलाल पुत्र श्री गोरधनलाल,
जाति दमामी, निवासी 10, इन्द्रा
कॉलोनी, पाली, जिला पाली

बनाम

अप्रार्थी :–
सरकार

प्रार्थना पत्र :: 16 /2020
(आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2020/000331)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451 सीआरपीसी व धारा 6ए ई.सी.एक्ट 1955

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.03.20	वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जिला रसद अधिकारी के प्रर्वतन निरीक्षक जितेन्द्रसिंह आसिया द्वारा गैस सिलेण्डरों के साथ एक थ्री व्हीलर टेम्पों आर जे 19 जीडी 7964 भी जब्त कर पुलिस थाना कोतवाली में खडा कर दिया है। जिसे सुपुर्दगीनामें एवं जमानत पर छोड़ने हेतु एक प्रार्थना पत्र u/s 451 c.r.p.c. के प्रस्तुत किया है। जिसे दर्ज रजिस्टर किया ज़ावे। प्रार्थी ने कथन किया कि प्रकरण u/s 6A Ec Act 1955 की धारा 6(ए) के तहत जब्त सिलेण्डरों के निस्तारण हेतु पेश किया जा चुका है जिसमें वर्तमान जब्तशुदा थ्री व्हीलर की आवश्यकता नही है फिर भी प्रार्थी प्रकरण के चलने तक उक्त वाहन को बेचान अन्तरण नही करेगा तथा न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर उक्त वाहन को कोर्ट मं प्रस्तुत करेगा उक्त वाहन से ही प्रार्थी के परिवार की रोजी–रोटी चलती है। इसलिए उक्त वाहन को जमानत व सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को रिलीज कराने के आदेश प्रदान करावे। सुपुर्दगी नामा एवं जमानतनामा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मूल रसद प्रकरण संख्या 01/2020 प्रार्थना पत्र बाबत आज ही सुनवाई की गई। प्रस्तुत दस्तावेजो का एवं इस न्यायालय में u/s 6A Ec Act 1955 के तहत प्रस्तुत प्रकरण का भी अवलोकन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक पाली द्वारा जब्त सुदा थ्री व्हीलर आर.जे. 19 जी.डी 7964 को 110000/- रूपये के सुपुर्दगीनामे एवं इसी कदर का जमानत नामा पेश करे तो उपरोक्त जब्तसुदा वाहन को रीलिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।प्रार्थी उपरोक्त जब्त वाहन को अन्य आदेश होने तक बेचान अन्तरण नही करेंगे तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर हाजिर रखेगें। पत्रावली 6(ए) के मूल प्रकरण संख्या 1/2020 सरकार बनाम सुरेन्द्र नायक वगैरा के संलग्न की जावें। जमानतनामा व सुपुर्दगी नामा पेश करने पर तहरीर जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर इस न्यायालय में विचाराधीन विविध प्रकरण संख्या 01/2020 अन्तर्गत धारा 6 'ए' के संलग्न नत्थी हो। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, पाली	

6-3-20 पत्रावली आज पेश हुई

प्रार्थी पप्पूलाल द्वारा उपस्थित होकर सुपुर्दगी
नामा एक लाख दस हजार अक्षरे (110000 रु०) का
तथा छगनलाल पि० गुलाब जी द्वारा जमानतनामा
इसी कदर का 110000/- रु० अक्षरे एक लाख दस हजार
रु० का मय शपथ पत्र पेश किया बाद तस्दीक एवं
प्रमाणीकरण के शामिल पत्रावली किया जावे थाना
अधिकारी पुलिस थाना कोतवाली को जब्तशुदा
वाहन की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने
की बोलेरो टेम्पो RJ 19 GD 7964 को बएवज रसीद
सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद भिजवाने हेतु लिखा जावे
पत्रावली मूल 6(A) प्रकरण EC Act सं० 1/20
सरकार बनाम सुरेश नायक के संलग्न हो।

जिला कलेक्टर, पाली

पप्पूलाल
आ०नं० 650558418797

छगनलाल
आ०नं० 218548365107

355
6/3/20